न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 95/2016

नन्दलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं।
–रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना उनवानी मुकदमा सरकार बनाम नन्दलाल जी महाराज मु0न0 58/2016 निर्णय दिनांक 17.11.2016 अ0 धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : –
1. श्री उम्मेद सिहं, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक :– 27.09.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 17.11.2016 उनवानी सरकार बनाम नन्दलाल मु.न. 58/2016 अ.धा. 91 राज. भू–राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुर ने अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के समक्ष अपीलार्थी द्वारा वाके ग्रम खानपुर ख.न. 364 कुल रकबा 2.63 हैक्टर गैर मु. जोहड़ में 0.03 हैक्टर में कब्जा पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश की जिस पर अदालत मातहत ने अपीलार्थी को अ. धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस दिया जिसका अपीलार्थी की ओर से जबाब नोटिस पेशकर लगभग 60 वर्ष पूर्व अपने खेत में बने हुये कुए के पास रिहायशी मकानात व चार दीवारी बनाकर आबाद है। व अपीलार्थी द्वारा कोई नया अतिक्रमण नही किया है परन्तु अदालत मातहत ने सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया है जो कानून विरूद्ध है। अदालत मातहत ने मौका के पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नही लिए है जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को गलत तथ्यों के आधार पर नोटिस दिया गया है अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से अपने खेत में बने हुए कुए के पास रिहायशी मकानात व चार दिवारी बनाकर आबाद हो गये तभी से

अपीलान्ट के खेत व अब अपीलान्ट उक्त भूमि पर रिहायशी मकान चार दिवारी बनाकर आबाद है एवं न ही अपीलान्ट को एवं न ही अपीलान्ट के अधिवक्ता को दिनांक 02.11.2016 को अन्य साक्ष्य पेश करने का समय दिया गया था जिस पर न तो अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया अगर अदालत मातहत सुनती तो आर्डर शीट पर साक्ष्य न पेश करने का कारण आता एवं न ही दिनांक 17.11.2016 की आर्डर शीट पर श्रीमान तहसीलदार बुहाना की सील भी नही है जिसके बिना अपीलान्ट के अधिवक्ता व अपीलान्ट को सुने बिना ही अदालत मातहत ने आदेश पारित कर दिया जो खिलाफ कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 17.11.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि पटवारी हल्का खानपुर ने अदालत मातहत तहसीलदार बुहाना के समक्ष अपीलार्थी द्वारा वाके ग्रम खानपुर ख.न. 364 कुल रकबा 2.63 हैक्टर गैर मु. जोहड़ में 0.03 हैक्टर में कब्जा पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश की जिस पर अदालत मातहत ने अपीलार्थी को अ. धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस दिया जिसका अपीलार्थी की ओर से जबाब नोटिस पेशकर लगभग 60 वर्ष पूर्व अपने खेत में बने हुये कुए के पास रिहायशी मकानात व चार दीवारी बनाकर आबाद है। अपीलार्थी द्वारा कोई नया अतिक्रमण नही किया है परन्तु अदालत मातहत ने सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपीालार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर दिया है जो कानून विरूद्ध है। अदालत मातहत ने मौका के पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नही लिए है जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट को गलत तथ्यों के आधार पर नोटिस दिया गया है अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से अपने खेत में बने हुए कुए के पास रिहायशी मकानात व चार दिवारी बनाकर आबाद हो गये तभी से अपीलान्ट के खेत व अब अपीलान्ट उक्त भूमि पर रिहायशी मकान चार दिवारी बनाकर आबाद है एवं न ही अपीलान्ट को एवं न ही अपीलान्ट के अधिवक्ता को दिनांक 02.11.2016 को अन्य साक्ष्य पेश करने का समय दिया गया था जिस पर न तो अधिवक्ता अपीलान्ट को सुना गया अगर अदालत मातहत सुनती तो आर्डर शीट पर साक्ष्य न पेश करने का कारण आता एवं न ही दिनांक 17.11.2016 की आर्डर शीट पर श्रीमान तहसीलदार बुहाना की सील भी नही है जिसके बिना अपीलान्ट के अधिवक्ता व अपीलान्ट को सुने बिना ही

अदालत मातहत ने आदेश पारित कर दिया जो खिलाफ कानुन व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 17.11.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट द्वारा ग्रम खानपुर ख.न. 364 कुल रकबा 2.63 हैक्टर गैर मु. जोहड़ में 0.03 हैक्टर में कब्जा मुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमी ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 17.11.2016 का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी खानपुर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने खसरा नंबर 364 कुल रकबा 2.63 हैक्टर गैर मु. जोहड़ में 0.03 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से पुक्ता मकानात बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैद्य हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट में कोई बल नहीं होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 17.11.2016 सरकार बनाम नन्दलाल मु0नं 58/2016 याथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू